P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-8* April- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राजस्थान के पंचायती राज में 73वें संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति (सहभागिता समस्याएँ, निराकरण)

मीना श्रृंगी
शोधार्थी,
राजनीति शास्त्र विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा

सारांश

हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएँ हैं। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता। भारत में अनादिकाल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरूषों के साथ मिलकर काम किया है।

परन्तु विकास के विभिन्न चरणों में महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय संविधान ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुनिश्चितता के लिए पूर्ण प्रयास किया, परन्तु यह सतही स्तर पर है। प्रस्तुत शोध पत्र में 73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में महिलाओं की भूमिका को विश्लेषित करना है। क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था।

मुख्य शब्द : भारतीय संविधान, आरक्षण, पंचायती राज, महिलाएं।

प्रस्तावना

भारत के संविधान में महिलाओं को और पुरूषों को दोनों को समानता का अधिकार दिया है। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही भारतीय समाज में सदैव ऐसी ताकतें सक्रिय और सशक्त रही हैं जो महिला–अधिकारों का पुरजोर विरोध करती हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस लिंगानुभेद आधारित विविधता को रातोंरात ठीक नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रही हमारा समाज महिला को कब तक भावानात्मक अत्याचार के पाश में बांध कर उसकी आंतरिक स्वतः जन्म योग्यताओं और सशक्त प्रतिनिधित्व की उसकी क्षमता को दबाता रहेगा।

महिलाओं ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। राजनीति के क्षेत्र में महिला को सशक्तता प्रदान करने में 73वाँ संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम था और किसी भी राष्ट्र के निर्माण व उन्नति के लिए आवश्यक है महिलाएँ जीवन के सभी क्षेत्रों एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करें।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान राज्य में पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति के अन्तर्गत उनकी सहभागिता, समस्याएँ व समाधान का विश्लेषण किया गया है।

क्योंकि महिला की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र; विशेषकर राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो, उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समानतपूर्ण समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तता हेतु तीन आधारभूत सिद्धान्तों को अनिवार्य माना जाता है।

1. स्त्री–पुरूष के मध्य समानता।
2. स्वयं की क्षमताओं के पूर्ण विकास का महिलाओं का अधिकार।
3. स्वयं के प्रतिनिधित्व व स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं का अधिकार।

प्राचीनकाल से ही पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही। महिलाओं को पुरूषों की दासी एवं दासता, अत्याचार, शोषण, गुलामी इत्यादि को सहने वाली नारी के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। पुरूष और नारी के बीच यह भेद प्रदेश–देश की ही नहीं बल्कि दुनियाँ की एक सच्चाई है। हालांकि प्रकृति से प्राप्त मातृत्व और प्राणीशास्त्र के इस नियतिवाद

ने स्त्री की जो परिभाषा दी वह पुरूष समाज से पूर्णतयाः भिन्न थी। क्योंकि शक्ति, प्रभुत्व, सत्ता उसके विरोधी थे।

भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये। क्योंकि भारतीय सामाजिक ढांचा समाज में पुरूष और महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाएं निर्धारित करता है। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरूषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक ढांचे में पुरूषों को अधिक अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परम्परागत भूमिकाएं सौंपी गई हैं – वे हैं माता, पत्नी, बनाम गृहिणी, रसोइया और बच्चों की देखभाल।

सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण प्रदान किया जाए। भारत के गाँवों में बसने वाली अधिकांश महिलाओं की स्थिति दयनीय है। महिलाओं को प्रथम : पंचायती स्तर पर सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी शुरूआत वर्षों पहले हो गई थी। गाँधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास ही नहीं थी। वह जानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी। तब तक उन्हें उनके मूल अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसके विकास के पहले पायदान यानी पंचायत में उनकी भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर अलग से सोचा गया।

देश के इतिहास में 73वाँ संविधान संशोधन ऐतिहासिक कदम रहा। इसके बाद जब 74वाँ संविधान संशोधन हुआ तो पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी करीब 10 लाख हुई।

इन सुधारों के बाद भी संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, स्वतंत्रता व अधिकारों का प्रयोग जितना पुरूषों ने किया है महिलाओं ने नहीं। आजादी के 71 वर्षों के बाद भी महिलाओं को नेतृत्व व प्रतिनिधित्व में पूर्ण सक्रिय भूमिका नहीं मिली, परन्तु निरन्तर सरकारी प्रयासों से उसकी भूमिका में परिवर्तन आया है, जिसका विश्लेषण किया गया है।

इसके अलावा एक विशेष वर्ग को छोड़कर भारत में साधारण महिलाओं को राजनीतिक के क्षेत्र में पुरूष के सहयोग की आवश्यकता होती है, निर्णय क्षमता का अभाव, घूंघट प्रथा, पर्दाप्रथा व रूढ़िवादिता आज भी विद्यमान है। जिसके कारण उनकी स्वतंत्र व निष्पक्ष भागीदारी संभव हो पाना कठिन है। अतः उनकी इन समस्याओं व इनका निराकरण का इस शोध पत्र में विश्लेषण किया गया है। यही इस शोध पत्र का उद्देश्य है कि महिलाओं की सहभागिता का क्या स्तर रहा है और उनके सामने अभी भी पंचायतीराज में जो समस्यायें विद्यमान हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है।

साहित्यावलोकन

शर्मा, निशिथ राकेश, ''पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, 2005 में उल्लेखित है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को आने वाली समस्याओं व सुझावों का विश्लेषण करते हुए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विश्लेषण किया है।''

शक्तावत डॉ. गायत्री, ''महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता व पंचायतीराज व्यवस्था, 2011 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायतीराज व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ व महिलाओं के राजनीति में प्रवेश का विश्लेषण किया है व पंचायतराज में महिलाओं की भूमिका का जिले विशेष के संदर्भ में विवेचन किया है।''

चन्देल डॉ. धर्मवीर, चन्देल डॉ. नरेन्द्र कुमार, ''पंचायतीराज और महिला सहभागिता, 2016 में 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। क्या वे आज प्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं, इसके भी जवाब तलाशने के प्रयास किए हैं।''

गौतम, डॉ. नीरज कुमार, ''पंचायतीराज और सूचना प्रौद्योगिकी, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली में पंचायती राज में महिलाओं के योगदान व तकनीकी प्रशिक्षण व सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताया है।''

राजस्थान के पंचायतीराज में 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की सहभागिता

मार्गरट कजिन्स ने ठीक ही कहा है कि ''किसी देश की प्रगति का पैमाना यही हो सकता है कि उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है।''

प्राचीनकाल, मध्यकाल व ब्रिटिश काल में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सहभागिता के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति ने सहवरण के माध्यम से दो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर लेने की सिफारिश की।

जनसंख्या के करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के लिए सहवरण व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी अतः 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राजव्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था।

73वें संशोधन के जरिये पंचायतीराज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर प्रधान, प्रमुख सरपंच तथा सदस्यों के स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

इस प्रकार पहली बार महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों के एक तिहाई स्थानों पर भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ।

73वें संविधान संशोधन के बाद निश्चित रूप से समाज में गतिशीलता आई है। इस संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात् महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया है। वे अब राजनीति में सक्रिय होने लगी है, महिलाओं को जागरूक बनाने तथा उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण एक

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-8* April- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ठोस कदम है। स्थानीय स्तर की सभी प्रमुख रीतियों, जैसे निःशुल्क भूमि आवंटन, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में महिलाओं का योगदान राजनीतिक स्तर पर मिल रहा है। स्थानीय निकायों में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा 'एक मील के पत्थर' के समान है। स्थानीय निकायों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है। परन्तु विधान मात्र से बदलाव नहीं लाया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा वर्ष 1953 में सर्वप्रथम ग्राम–सभा के महत्व को वैधानिक तौर पर स्वीकार किया गया और हर गाँव में ग्राम सभा की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया। ग्राम सभा वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक संस्था है, जिसके माध्यम से जनता के हाथ में प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता सौंपी गई।

73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में 1995 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिशत इस प्रकार हैं–

1995 के चुनाव में महिला सहभागिता प्रतिशत

नाम पद	कुल पद	पुरूष				महिला	
		सामान्य	अनु– सूचित जाति	अनु– सूचित जन जाति	पिछड़ा वर्ग		
जिला प्रमुख	31	8	4	4	5	10	32.25%
जिला परिषद सदस्य	997	216	177	154	119	331	33.19%
प्रधान पंचायत समिति	237	45	41	36	35	80	33.75%
पंचायत समिति सदस्य	5257	2145	943	804	625	1740	33.09%
सरपंच	9185	1941	1643	1477	1060	3064	33.35%

अतः राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने के पश्चात् पहली बार तीनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। 1995 के चुनाव से पूर्व राजस्थान में एक भी महिला चुनकर पंचायत में नहीं आई। यह आरक्षण का ही परिणाम था कि पहली बार पंचायती राजव्यवस्था में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दर्शायी।

इसके अलावा केन्द्र सरकार ने 27 अगस्त 2009 को पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करने को मंजूरी प्रदान की। यह विधिक 110 संविधान संशोधन के रूप में 25 नवम्बर 2009 को प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में 15 राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

इस आरक्षण के बाद राजस्थान में महिला सहभागिता का प्रतिशत इस प्रकार है –

2015 के चुनाव में महिला सहभागिता प्रतिशत

नाम पद	कुल पद	पुरूष				महिला	
		सामान्य	अनु– सूचित जाति	अनु– सूचित जन जाति	पिछड़ा वर्ग		
जिला प्रमुख	33	6	2	3	4	18	54.54%
जिला परिषद सदस्य	1014	130	101	101	168	514	50.69%
प्रधान पंचायत समिति	295	35	28	29	39	164	55.59%
पंचायत समिति सदस्य	6236	687	628	594	1040	3287	52.7%
सरपंच	9862	844	961	1097	197	5043	51.13%

अतः 1995 में जितना महिला का प्रतिशत था उसकी तुलना में 2015 में राजस्थान में पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर जिला प्रमुख से लेकर सरपंच तक महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस विवरण से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं का प्रतिशत तो बढ़ा है लेकिन अभी भी कुछ समस्याएँ हैं जो महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने में बाधक बनी हुई है।

राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता की समस्याएँ

1. राजस्थान के पुरूष सत्तात्मक समाज में महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित माना जाता रहा है। इस दृष्टि से महिलाओं के राजनीति में प्रवेश को समाज उचित नहीं मानता रहा है। अतः महिलाएँ राजनीति में खुलकर सहभागी नहीं बन पाती हैं।
2. राजस्थान के परम्परागत व सामंतवादी समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति दोयम दर्जे की बनी हुई है। सामाजिक कुप्रथाओं जैसे बालविवाह दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि ने महिलाओं के सशक्तिकरण व पंचायतों में भागीदारी में रूकावट उत्पन्न की है।

महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को हिंसा अपराधीकरण, माफियाकरण ने भी प्रभावित किया जिससे वह राजनीति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है। उनके परिवार वाले भी उनके राजनीति में प्रवेश को उचित नहीं मानते हैं।

राजनीतिक दलों में स्थानीय स्तर पर महिला शाखाओं का अभाव होने के कारण महिलाओं के स्थानीय राजनीति यथा पंचायतों में प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न होता है।

महिलाओं के निरक्षर एवं अल्प शिक्षित होने के कारण उन्हें पंचायतीराज व्यवस्था के प्रावधानों एवं

राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। जिसका लाभ गाँव के प्रभावशाली व्यक्ति उठाते हैं और वह मूक–दर्शक बन कर रह जाती हैं।

महिलाओं के लिए उचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव भी उनकी पंचायतों में सहभागिता को सीमित करती है। अतः उक्त समस्याओं के निराकरण आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं ने भी राजस्थान की पंचायतीराज व्यवस्था में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करायी हैं। शून्य से 32.48 प्रतिशत और 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद पंचायती व्यवस्था में जिला प्रमुख से लेकर सरपंच तक उनकी प्रतिशतता में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। कुछ समस्याएँ अभी भी उनके सामने आ रही हैं जिनका निराकरण आवश्यक है और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हेतु निम्न उपाय किये जाने आवश्यक हैं –

1. शिक्षा : राजस्थान में आज भी गाँवों में निरक्षरों की बहुतायतता पायी जाती है। पंचायतीराज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। उन्हें कम से कम पढ़ना–लिखना तो आना ही चाहिए ताकि महिला प्रतिनिधि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के दायित्वों को समझ सकें। वर्तमन में सरकार द्वारा शैक्षिक योग्यता का निर्धारण एक सराहनीय प्रयास है।
2. महिलाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन किया जाना चाहिए।
3. महिला प्रतिनिधियों को भी पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
4. पंचायतों के सशक्तीकरण एवं राजनीतिक समाजीकरण को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर महिला मेलों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. महिला प्रतिनिधियों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। इससे भविष्य में पंचायत की कार्यशैली पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
6. नव–निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में सरकार और नागरिक समाज के बीच सहयोग से नागरिक समाज को क्षमता निर्माण में व्यापक सहायता मिलेगी।

इस प्रकार पंचायतीराज में महिलाओं के रचनात्मक, सकारात्मक सहयोग अथवा भागीदारी को प्राप्त करने तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जीवन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए दिए गए इन सुझावों के माध्यम से पंचायतीराज की मौलिक सोच विकेन्द्रीकरण की वस्तुस्थिति को यथार्थ में प्राप्त किया जा सकता है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, यदि उनका निश्चित दिशा में समुचित रूप से पालन किया जाए तो विश्वास है कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तीकरण की दिशा में आवश्यक परिणाम सामने आऐंगे और राजस्थान की पंचायतीराज संस्थाओं की स्थिति मजबूत होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा, निशीथ राकेश, ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, कुरूक्षेत्र नई दिल्ली 2005''*
2. *शक्तावत, डॉ. गायत्री, ''महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता व पंचायती राज व्यवस्था, नवजीवन पब्लिकेशन, 2011, पृष्ठ 94''*
3. *तिवारी, डॉ. कणिका, ''महिला सशक्तिकरण का आत्मावलोकन'' कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, अगस्त 2013, पृष्ठ 4*
4. *श्रीवास्तव, मयंक, ''महिला–सशक्तिकरण सामाजिक बदलाव के लिए आवश्यक'' कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, पृष्ठ 14*
5. *शेखर, डॉ. हिमांशु, ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली 2014, पृष्ठ संख्या 18*
6. *पटनी, चन्द्रा, ''ग्रामीण स्थानीय प्रशासन'', विश्वभारती पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006, पृष्ठ संख्या 176*
7. *गौतम, डॉ. नीरज कुमार, ''पंचायतीराज और सूचना प्रौद्योगिकी'' कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, जनवरी 2014, पृष्ठ संख्या 25*
8. *चन्देल, डॉ. धर्मवीर, चन्देल डॉ. नरेन्द्र कुमार, ''पंचायतीराज और महिला सहभागिता'', आविष्कार पब्लिशर्स, 2016, पृष्ठ संख्या 58*
9. *Rajpanchayat.rajasthan.gov.in*
10. *Villageinfo.in*
11. *https://scc.rajasthan.gov.in*